कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः न–3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2020 दिनांक सितम्बर 26, 2020

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 डॉन बॉस्को स्कूल,
रायब्रिज, जनपद पिथौरागढ़।

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0–52774893 दिनांक 16–09–2020 के अनुसार मै0 डॉन बॉस्को स्कूल, रायब्रिज, जनपद पिथौरागढ़ की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र पिथौरागढ़ की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर टैरेस टैंक की क्षमता बढ़ाकर 10,000 लीटर, प्रत्येक तल/निर्धारित दूरी पर हॉजरील्स, 450 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस वाटर पम्प का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 डॉन बॉस्को स्कूल, रायब्रिज, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाएें सुनिश्चित किए जाने की स्थिति में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2020 से 25 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4.5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

Manager
Don Bosco School
Pithoragarh (U.K)

Principal
Don Bosco School
Pithoragarh

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर